2019/00016

न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

बापूलाल बनाम नाथूलाल

किस्म मुकदमा धारा 225 मि० नं० 13/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सईद अहमद अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28-1-2019	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलार्थी दि० 21-1-2019 को प्रस्तुत की गयी। सरिश्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा के प्र० सं० 80/2018 नाथूलाल बनाम बापूलाल में दिये गये अन्तरिम आदेश दि० 20-11-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आदेशिका दि० 20-11-2018 में विवादित आराजी ग्राम मायाखेड़ी तह० पिड़ावा के ख० नं० 160, 167, 205, 366 व 399 कित्ता 5 कुल रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा को रहन, बेचान नहीं करने तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब कर आगामी पेशी दि० 8-1-2019 नियत की गई है। यह आदेश अन्तरिम आदेश की प्रकृति का होने के कारण अभिभाषक अपीलार्थी की एडमिशन पर बहस सुना जाना आवश्यक है। अतः अभिभाषक अपीलार्थी की बहस एडमिशन एक तरफा सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अन्तरिम आदेश की अपील इस स्तर पर न्यायालय हजा में चलने योग्य है। इस संबंध में Maintainability पर बहस की। अपील के समर्थन में RRT 2014(1) पेज 409 व RRT 2014(1) पेज 139 प्रस्तुत की, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि धारा-212 के अन्तर्गत आवेदन पर पारित कोई भी आदेश चाहे अन्तिम व अन्तरिम RTA की धारा-225 के अन्तर्गत अपील योग्य माना है। हमने अभिभाषक अपीलार्थी की बहस एडमिशन पर श्रवण किया, उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरों का भी अवलोकन किया।	

59

P.T.O.

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू - प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा – पत्र

उनवान

बापूलाल बनाम नाथूलाल

किस्म मुकदमा धारा-225 मि० नं० 13/2019 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट श्री सईद अहमद अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	इसके अतिरिक्त 2018 (1) RRT 548 का भी अवलोकन किया गया, जिसमे RTA 1955 की धारा-212 रिकार्ड में व मौके पर यथावत स्थिति रखने अन्तरिम आदेश R.AA ने अन्तरिम आदेश की पालना कागित की। मामला विचाराधीन न्यायालय के समक्ष लम्बित था। ऐसे आदेश में राजस्व अपील प्राधिकारी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, जब तक की आदेश प्रतिकूल नहीं हो। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पोषणीय नहीं थी – आदेश अपास्त किया। तथा विचारण न्यायालय के आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी किये गये स्थगन आदेश की अवधि भी नहीं बढ़ाई गयी है, जिससे प्रार्थीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव हो। यदि आदेशिका दिनांक 20-11-2018 से प्रार्थीगण व्यथित हों तो उन्हे पुनः विचाराधीन न्यायालय में ही एकपक्षीय कार्यवाही को हटाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिये था। अतः प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने से चलने योग्य नहीं होने के कारण इस स्तर पर खारिज जाती है। ~~बाद~~ अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में आगामी कार्यवाही करे कोलिए स्वतन्त्र है। अपील दर्ज रजिस्टर होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	
	(सुमित्रा डागा) भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	

Scanned by CamScanner